

**भारत सरकार टकसाल /INDIA GOVERNMENT MINT**

**(एसपीएमसीआईएल की इकाई /A UNIT OF SPMCIL)**

**मुंबई /MUMBAI**

**कार्यालय आदेश OFFICE ORDER**

विषय/Subject: यौन उत्पीड़न अधिनियम (बचाव,निषेध व निवारण अधिनियम-2013) के अधीन महिला कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से बचाव।To prevent sexual harassment of women employees as per the Sexual - Harassment Act (Prevent, prohibition & Redressal Act – 2013).

कार्यालय आदेश सं भासटमु/प्रशासन/कार्यालय आदेश/ 466/2023 दिनांक: 18.07.2023 के निरंतरता में एवं अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यौन उत्पीड़न अधिनियम (वर्तमान, निषेध और निवारण अधिनियम - 2013) के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, निम्नलिखित कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक समिति फिर से स्थापित की गयी है।

In continuation to office order no.भासटमु/प्रशासन/कार्यालय आदेश/ 466/2023 Dated 18.07.2023and as per section 4 of Act to prevent sexual harassment of women employees as per the Sexual Harassment Act (Prevent, prohibition & Redressal Act – 2013), it is expedient to re-constitute a Committee consisting of following Executives & Officials.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. श्रीमती नीता मिश्रा, संयुक्त महाप्रबंधक (सु.प्रौ.) | - पीठासीन अधिकारी/ Presiding Officer |
| 2. श्रीमती इंदरदीप कौर उप महाप्रबंधक (मा.सं.),        | - सदस्य/ Member                      |
| 3. श्री सी. एच. अहिरे , प्रबंधक (तक.प्रच.)            | - सदस्य/Member                       |
| 4. श्रीमती सुमन जगदाले , वरिष्ठ पर्यवेक्षक (ऐसे )     | - सदस्य/Member                       |
| 5. सुश्री नयना परदेशी, (बाहरी सदस्य)                  | - सदस्य/Member                       |

सुश्री नयना परदेशी बाहरी सदस्य है और जैसा कि अधिनियम में उल्लेख किया गया है, उन्हे प्रति बैठक Rs.5000/- की फीस का भुगतान किया जाएगा (यदि लागू हो तो कर काटा जाएगा )/ Ms. Nayana Pardeshi is external member and as mentioned in the Act she will be paid the fees of Rs. 5000/- per meeting. (If applicable, Taxes will be deducted)

उपरोक्त पर मुख्य महाप्रबंधक का अनुमोदन दिनांक: 02.05.2024 प्राप्त है।

This is issues with the approval of Chief General Manager dated 02.05.2024.

भारत सरकार टकसाल  
(एसपीएमसीआईएल की इकाई)

मुंबई

क्र.भासटमु/प्रशासन/कार्यालय आदेश/ 2024

दिनांक 03 /05/2024

प्रति :-

1. क्र. 1 से 5 को व्यक्तिगत, भारत सरकार टकसाल (एसपीएमसीआईएल की इकाई), मुंबई
2. सभी अधिकारी /सभी व.पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक ,भारत सरकार टकसाल, मुम्बई (एसपीएमसीआईएल की इकाई)
3. मान्यता प्राप्त यूनियन
4. सूचना फलक (नया/पुराना)
5. कार्यालय आदेश

इंदरदीप कौर  
(इंदरदीप कौर)

उप महाप्रबंधक (मा.सं.)